Tel. No.: 23544341/332.
Fax No.022-23532737

Email: director@aiipmr.gov.in
Website: www.aiipmr.gov.in

भारत सरकार/ Government of India
स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय /Ministry of Health and Family Welfare
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय /Directorate General of Health Services
अखिल भारतीय भौतिक चिकित्सा एवं पुनर्वास संस्थान
ALL INDIA INSTITUTE OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION
के.के. मार्ग, हाजी अली, महालक्ष्मी , मुंबई-400034.
Haji Ali, K.K.Marg, Mahalaxmi, Mumbai – 400 034

संदर्भ संख्याः शैक्षणिक/ 1388 दिनांक:05/09/2026

कार्यालय आदेश/OFFICE ORDER

विषय: दिव्यांगजन (Persons with Benchmark Disabilities – PwBD) हेतु Enabling Unit के गठन के संबंध में।

राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (**National Medical Commission**) के परिपत्र संख्या **NMC/U**-11021/24204/**PwBD**/2026 दिनांक 27.07.2026 तथा दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन में संस्थान में **Persons with Benchmark Disabilities (PwBD)** के विद्यार्थियों/प्रशिक्षुओं को समावेशी एवं सुगम शैक्षणिक वातावरण, युक्तियुक्त सुविधा (**Reasonable Accommodation**) तथा आवश्यक शैक्षणिक एवं नैदानिक सहायता प्रदान करने हेतु निम्नलिखित **Enabling Unit** का गठन किया जाता है:

1. डॉ. विवेक पुस्नाके /Dr. Vivek Pusnake — अध्यक्षा/Chairperson
2. डॉ. अमित म्हाम्ब्रे /Dr. Amit Mhambre — सदस्य / Member
3. डॉ. सुमेध मोरे/Dr. Sumedh More — सदस्य/Member

Enabling Unit के प्रमुख कार्य:

1) संस्थान में दिव्यांग छात्रों/प्रशिक्षुओं के लिए उचित आवास, आवश्यक शैक्षणिक और नैदानिक सहायता तथा बाधा-मुक्त पहुँच सुनिश्चित करना।

2) अध्ययन, नैदानिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप के दौरान दिव्यांगता-विशिष्ट सुविधाओं और आवश्यक सहायता के लिए अनुरोध प्राप्त करना और समय पर उनका निपटान करना।

3) प्रवेश के समय तथा संस्थान की वेबसाइट और सूचना बोर्ड के माध्यम से सभी छात्रों को सक्षम इकाई की उपलब्धता, कार्य और संपर्क विवरण के बारे में जानकारी प्रदान करना।

4) दिव्यांग छात्रों/प्रशिक्षुओं के लिए आवश्यक सुविधाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नामित दिव्यांगता मूल्यांकन बोर्ड, संबंधित संकायों/विभागों, अस्पताल प्रशासन और अन्य सक्षम अधिकारियों के साथ समन्वय करना।

5) संस्थान में उपलब्ध अनुरोधों और दिव्यांग छात्रों को प्रदान की गई उपयुक्त सुविधाओं/आवासों का उचित रिकॉर्ड रखेंगे। यह भी सुनिश्चित करेगे कि आवश्यक सहायता और सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के प्रदान की जाएं, साथ ही संबंधित अभिलेखों की गोपनीयता बनाए रखी जाए।

6) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, **2016** और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार विकलांग छात्रों/प्रशिक्षुओं को आवश्यक सहायता और सुविधाएं प्रदान करने के लिए अन्य आवश्यक कार्रवाई करना।

1) Ensuring reasonable accommodation, necessary academic and clinical support, and barrier-free access for PwBD students/trainees at the Institute.

2) Receiving and timely processing of requests for disability-specific facilities and necessary assistance during studies, clinical training, and internships.

3) Providing information regarding the availability, functions, and contact details of the Enabling Unit to all students at the time of admission and through the Institute's website and notice board.

4) Coordinate with the Designated Disability Assessment Board, the relevant faculties/departments, hospital administration, and other competent authorities to effectively implement the necessary facilities for PwBD students/trainees.

5) The Institute will maintain proper records of requests received and the appropriate facilities/accommodations provided to students with disabilities. It will also ensure that necessary assistance and facilities are provided without any discrimination, while maintaining the confidentiality of the relevant records.

6) To take other necessary action to provide necessary assistance and facilities to PwBD students/trainees in accordance with the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 and the guidelines issued from time to time by the National Medical Commission.

(डॉ.चंद्रशेखर शिवाजी टाकलीकर)
निदेशक

निदेशक/DIRECTOR
अ.भा.भौ.चि.पु.सं./A.I.I.P.M.R.
हाजी अली, के. खाड्ये मार्ग,
Haji Ali, K. Khadye Mg.,
महालक्ष्मी/Mahalaxmi
मुंबई/Mumbai - 400 034

c:\users\hp\documents\ethics committee office order.docx